



उत्तराखण्डमुक्तविश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (नैनीताल)

Uttarakhand Open University
Office of The Registrar

Ref. No. UOU/R1/Misc/Sc/127
Date: 20.11.25/2025

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के कतिपय अध्ययन केन्द्रों में निष्प्रयोज्य पाठ्य सामग्रियों का भण्डार बढ़ने तथा वर्तमान में उक्त पाठ्यसामग्री चलन से बाहर होने के कारण स्थान की अत्यंत कमी हो रही है। माननीय कुलपति जी द्वारा अध्ययन केन्द्रों को निष्प्रयोज्य पाठ्य सामग्री के विनिष्ठीकरण की अनुमति निम्न नियमों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. अध्ययन केन्द्र उत्तराखण्ड विनिष्ठीकरण नियमावली के सुसंगत प्राविधानों, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन विनिष्ठीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं।
2. विनिष्ठीकरण के समय विश्वविद्यालय के 02 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
 - सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र के सहायक क्षेत्रीय निदेशक
 - कुलसचिव द्वारा नामित एम0पी0डी0डी0 के प्रतिनिधि
3. विनिष्ठीकरण से जो भी आय प्राप्त होगी उसे विश्वविद्यालय में जमा किया जायेगा।
4. समस्त कार्य विनिष्ठीकरण नियमावली के अन्तर्गत किये जायेंगे।
5. अध्ययन केन्द्र प्रभारी, विनिष्ठीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु कुलसचिव से प्रतिनिधि को नामित करने हेतु अनुरोध करेंगे

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखितकोई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को, माननीय कुलपतिजी के सूचनार्थ।
02. निदेशालय क्षेत्रीय निदेशक, उ0मु0वि0वि0।
03. निदेशक एम0पी0डी0डी0, उ0मु0वि0वि0।
04. सहायक क्षेत्रीय निदेशक, उ0मु0वि0वि0।

05. अध्ययन केन्द्र प्रभारी

(खेमराज भट्ट)
कुलसचिव